तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.s.Act Case No. 10/2025**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमे जारी हुए
30–7–2025	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी धर्मेश कंसारा पुत्र चुन्नीलाल जी, जाति– कंसारा, निवासी– वैद्यनाथ कॉलोनी, सिरोही, तहसील व जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म सुन्धा स्वीट होम, नया बस स्टेण्ड़ रोड़, सिरोही, तहसील व जिला– सिरोही के अधिवक्ता उपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 25–01–2024 को फर्म सुन्धा स्वीट होम, नया बस स्टेण्ड़, सिरोही में प्रतिवादी धर्मेश कंसारा से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ घी का नमूना संख्या S-2294 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर के जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./137/Act/2024/188 दिनांक 08–2–2024 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर शास्ति (Penalty) अधिरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी किया गया। प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री प्रफुल्ल माली उपस्थित हुये एवं प्रतिवादी धर्मेश कंसारा की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में बहस हेतु नियत दिनांक 23–7–2025 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव उपस्थित नही हुये। प्रतिवादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। जिन्होनें बहस के दौरान प्रतिवादी के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व उक्त अधिनियम की धारा 32 की पालना नही की गई है। धारा 32 के अनुसार यदि अभिहित अधिकारी के पास यह विश्वास करने के लिये युक्तियुक्त आधार है की खाद्य कारोबारकर्ता, ऐसे किन्हीं विनियमों का पालन करने में असफल रहा है जिन्हें यह धारा लागु होती है, तो ऐसे खाद्य कारोबारकर्ता पर एक सूचना तामिल करेगा, लेकिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त धारा 32 की पालना किये बिना ही सीधे प्रतिवादी के विरुद्ध यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित प्रक्रिया मौके पर सम्पादित नही की है तथा न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित कथनों को भी सक्षम साक्ष्य से साबित नही करवाया है। उक्त नमूना किसी कारण से अमानक पाया गया है वह उक्त जांच रिपोर्ट में नही दर्शाया है। प्रतिवादी ने बेसन लड्डू घी से निर्मित अमानक खाद्य का विक्रय नही किया है व न ही घी का विक्रय करता है, बल्कि प्रतिवादी द्वारा अच्छी गुणवत्ता व उच्च श्रेणी के खाद्य पदार्थो का विक्रय किया जाता है। प्रतिवादी की फर्म अपने ग्राहकों का पूर्ण ध्यान रखते हुए अच्छी गुणवत्ता व उत्तम श्रेणी के खाद्य पदार्थो का विक्रय करती है। प्रतिवादी द्वारा बेसन के लड्डू बनाने हेतु घी रखा हुआ नही था। अतः प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को खारिज किया जावे। हमनें प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया	

.......लगातार

पीठा. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

न्यायालय अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज.)

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.s.Act Case No. 10/2025**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमे जारी हुए
	कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही, दिनांक 25–01–2024 को समय 11–00 ए.एम. पर फर्म सुन्धा स्वीट होम, नया बस स्टेण्ड़, सिरोही, तहसील व जिला– सिरोही पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर की हैसियत से प्रतिवादी धर्मेश कंसारा पुत्र चुन्नीलाल जी, जाति– कंसारा, निवासी– वैद्यनाथ कॉलोनी, सिरोही उपस्थित मिले। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म सुन्धा स्वीट होम, नया बस स्टेण्ड़, सिरोही, तहसील व जिला– सिरोही के निरीक्षण के दौरान फर्म सुन्धा स्वीट होम, नया बस स्टेण्ड़, सिरोही, तहसील व जिला– सिरोही की दुकान के अन्दर रखे हुए खाद्य पदार्थ बेसन लड्डू घी से बनाने हेतु घी रखा हुआ पाया, जो 26 जनवरी 2024 को वितरण हेतु टेण्डर होने से लड्डू बनाये जा रहे थे। उक्त खाद्य पदार्थ घी में मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की सूचना प्रतिवादी विक्रेता धर्मेश कंसारा को गवाह श्री मुकेश, कार्मिक, कार्यालय नगर परिषद, सिरोही एवं श्री श्रवण सिंह, वाहन चालक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्म सुन्धा स्वीट होम की दुकान में खाद्य सामग्री निर्माण स्थल पर एक पीपे में लगभग 7–8 किलोग्राम घी रखा हुआ था, उसमें से एक किलोग्राम घी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु गवाहों के समक्ष एक साफ, सूखे व खाली बर्तन में तुलवाकर कीमतन क्रय किया एवं उसकी कीमत राशि रुपये 600/– (अक्षरे रुपये छः सौ मात्र) अदा कर खरीद रसीद बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने खरीदशुदा घी को हिला मिलाकर एकरुप करके इस खरीदशुदा घी को प्रतिवादी विक्रेता व गवाहों के समक्ष चार साफ, सूखी एवं खाली शीशीयों में बराबर–बराबर मात्रा में डालकर प्रत्यके नमूना शीशी को ढ़क्कन से एयरटाईट बन्द किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-2294, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ घी आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी विक्रेता धर्मेश कंसारा एवं गवाहों के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने हस्ताक्षर किये। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा घी की चारों नमूना शीशीयों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया तथा खरीदशुदा चारों नमूना शीशीयों/भागों पर अभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप कोड एवं एवं क्रम संख्या S-2294 उपर से लेकर नीचे तक गोंद से चिपकाई। प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया। तत्पश्चात् प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता धर्मेश कंसारा व गवाहों के हस्ताक्षर कराये व श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता धर्मेश कंसारा व गवाहों तथा श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुए है। तत्पश्चात् श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ ....लगातार	

मुख्य. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

न्यायालय मुख्य न्या० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.s.Act Case No. 10/2025**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 29–01–2024 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री बाबुलाल मीणा, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं दिनांक 25–01–2024 को ही शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म सुन्धा स्वीट होम, नया बस स्टेण्ड रोड़, सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता धर्मेश कंसारा से खाद्य पदार्थ घी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय किये गये खाद्य पदार्थ घी के नमूना संख्या S-2294 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से प्राप्त विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक **L.S./137/Act/2024/188** दिनांक 08.02.2024 में खाद्य पदार्थ घी का नमूना अमानक (sub-standard) पाया गया है। इस प्रकार, पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी धर्मेश कंसारा पुत्र चुन्नीलाल जी कंसारा, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म सुन्धा स्वीट होम, नया बस स्टेण्ड रोड़, सिरोही द्वारा अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ घी का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ घी (नमूना संख्या S-2294) के विक्रय हेतु प्रतिवादी धर्मेश कंसारा पुत्र चुन्नीलाल जी, जाति– कंसारा, निवासी– वैद्यनाथ कॉलोनी, सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म सुन्धा स्वीट होम, नया बस स्टेण्ड रोड़, सिरोही, तहसील व जिला– सिरोही पर राशि रुपये 35,000/– (अक्षरे रुपये पैतीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी धर्मेश कंसारा को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 29–8–2025 को पेश हो।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
सिरोही

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)